विभाग का नाम :—खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :—_आठवां तल, मयुर भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या :— 42—तारांकित

दिनांकः—21.03—2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम :—सुश्री राखी बिड़ला

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :—

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या मंगोलपुरी विधानसभा में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है,	खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा मार्च 2016 में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 40 केन्द्रों के माध्यम से 20 हजार स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं का पंजीकरण तथा प्रशिक्षण करना शामिल किया गया। दिवाली पर्व पर समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं से लोगों को सम्भावित मिलावट के प्रति जागरूक/सावधान किया जाता है। परन्तु केवल मंगोलपुरी विधानसभा में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
ख	यदि हां, तो उसका विवरण क्या है,	वर्तमान में विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण जागरूकता अभियान चलाने का कार्य नहीं हो पा रहा है। 17 नये खाद्य संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। भविष्य में इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
ग	क्या यह सत्य है कि बहुत से दुकानदार अपने सामान को एक्सपायरी डेट के बाद भी	दिल्ली में खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थ के दुकान

	धड़ल्ले से बेचते हैं,	एवं गोदाम का औचक निरीक्षण किया जाता है तथा खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से जांच हेतु लिए जाते हैं। पिछले दो वर्षों में दुकानदारों द्वारा खाद्य पदार्थों के सामान को एक्सपायरी डेट के बाद बेचने का कोई मामला विभाग के संज्ञान में नहीं आया है।
घ	यदि हां, तो क्या सरकार का इन दुकानदारों की मनमानी रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है, और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
ड़	यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं।